राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 07.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 एवं 28.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य में निजी क्षैत्र (समस्त सी एण्ड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) में उपलबध निम्न दवा (घटक युक्त दवाओं) को व्यापक लोक हित में अधिगृहित किया गया था–

1- Hydroxychloroquine 200/300/400 mg Tab

इन दवाओं को बाजार से अधिगृहित किये जाने के कारण बाजार में इनकी उपलब्धता खत्म हो गई है जबकि ये दवाएं अन्य बीमारियों जैसे Rheumatoid arthritis, में भी नियमित रूप से काम में आती है। जिसके कारण नियमित मरीजों को ये दवाएं नही मिल पा रही है तथा ऐसे मरीजों को परेशानी का सामना कर पड रहा है।

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति एवं अन्य मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए बाजार से अधिगृहित की गई दवाओं में Hydroxychloroquine 300 mg के सम्पूर्ण स्टॉक को सम्बन्धित फर्म को लौटाया जाता है। इसके अतिरिक्त Hydroxychloroquine 200/400 mg Tab में से भी 25 प्रतिशत दवा सम्बन्धित फर्म को लौटाई जाती है। उक्त दवाऐं चिकित्सकीय पर्ची पर परामर्श के आधार पर मरीज को उपलब्ध कराई जावे एवं यह भी सुनिश्चित किया जावे कि उक्त दवाओं की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी न हो।

07/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. औषधि नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय), औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर, यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त दवाओं की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी न हो।
9. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी, राज.
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव